

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

पर्यावरण विभाग, (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार)
पांचवां तल, आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006
हमें www.dpcc.delhigovt.nic.in पर देखें।

सार्वजनिक सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016, तिथि मुताबिक संशोधित अनुसार, के अनुपालन में, निम्नलिखित कमोडिटीज को निषिद्ध किया गया है:

- कैरी बैग्स जो शुद्ध अथवा रिसाइकल्ड प्लास्टिक का बना हुआ हो, मोटाई में 120 माइक्रॉन्स से कम नहीं होगी। [31 दिसम्बर, 2022 से]
- प्लास्टिक शीट अथवा समान जो कि कमोडिटी की पैकेजिंग, रैपिंग के लिए प्रयुक्त किया गया हो और मोटाई में 50 माइक्रॉन्स से कम हो [ऐसी स्थितियों को छोड़कर जहां पर ऐसे प्लास्टिक शीट्स की मोटाई उत्पाद की कार्यशीलता को प्रभावित करती हो]
- नॉन-वूवेन प्लास्टिक कैरी बैग्स जो 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) से कम हो।
- गुटखा, तम्बाकू तथा पान मसाला के भण्डारण, पैकिंग तथा बिक्री के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री का इस्तेमाल करने वाली थैली।

उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित 19 एसयूपी कमोडिटीज के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री तथा उपयोग को दिनांक 1 जुलाई, 2022 से निषिद्ध कर दिया है:

1. प्लास्टिक स्टिक सहित ईअर बड्स
2. गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक्स
3. प्लास्टिक झंडे
4. कैन्डी स्टिक्स
5. आईस-क्रीम्स स्टिक्स
6. डेकोरेशन के लिए पॉलीस्टीरीन (थर्माकोल)
7. प्लेट्स
8. कप
9. ग्लासेज
10. खाना खाने के कांटे (फॉर्क्स)
11. चम्मच
12. चाकू
13. स्ट्रॉ
14. ट्रेज
15. मिठाई के डिब्बों के चारों ओर रैपिंग अथवा पैकिंग फिल्मस
16. आमंत्रण पत्रों के चारों ओर रैपिंग अथवा पैकिंग फिल्मस
17. सिगरेट के पैकेट के चारों ओर रैपिंग अथवा पैकिंग फिल्मस
18. प्लास्टिक अथवा पीवीसी बैनर्स 100 माइक्रॉन्स से कम
19. स्टिरर्स

उपरोक्त कमोडिटीज तथा प्रतिबंधित एसयूपी आइटम्स के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण बिक्री एवं उपयोग तथा पीडब्ल्यूएम रूल्स, 2016 के प्रावधानों के अन्य उल्लंघनों के संबंध में शिकायत निम्नलिखित के माध्यम से दर्ज करायी जा सकती है:

1. “ग्रीन दिल्ली ऐप”, दिल्ली सरकार का एक मोबाइल ऐप
2. “SUP-CPCB”, सीपीसीबी का एक मोबाइल ऐप

सदस्य सचिव
डीपीसीसी